

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1028  
जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

.....  
स्वच्छ गंगा निधि

1028. श्री रवनीत सिंह:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान 'स्वच्छ गंगा निधि' से कितनी राशि उपयोग की गई है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान स्वच्छ गंगा निधि के न्यासी मंडल की कितनी बार बैठक हुई;
- (ग) नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत गंगा नदी को साफ करने के लिए कितनी परियोजनाओं को स्वीकृत और कार्यान्वित किया गया है; और
- (घ) क्या सरकार एनएमसीजी के संबंध में 'कैग' रिपोर्ट से अवगत है और यदि हां, तो सरकार की कमियों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) स्वच्छ गंगा निधि (सीजीएफ) के तहत प्राप्त धनराशि में से 61.45 करोड़ रूपए की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

(ख) स्वच्छ गंगा निधि के न्यासी बोर्ड की पहली बैठक 29 मई, 2015 को आयोजित की गई थी। इसके बाद न्यासी बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रचालित करके परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया

( ) , 28,451.29 रूपए की अनुमानित लागत ; 298 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 98 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

( ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने आकलन, उपलब्धता और धन के उपयोग, विभिन्न /परियोजनाओं के र कार्यान्वयन की पर्याप्तता, मानव संसाधन की पर्याप्तता निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए गंगा नदी के पुनरूद्धार की कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा की है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सिफारिशों के आधार पर, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने लेखा परीक्षा पुनरीक्षा समिति अं पुनरीक्षा समिति क गठन किया है। इन समितियों की अब तक सात संयुक्त बैठकें हो चुकी हैं।

- वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) 2014-15 2019-20 (31 2019 ),  
7,763.62 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसमें से ए 31 , 2019  
6,134.93 रूपए की राशि जारी की है, जो जारी की गई राशि क 79.02%  
वित्तीय वर्षों की तुलना में व्यय लगभग तीन गुना हो गया है।
- संगठन में वित्तीय और बजटीय प्रबंधन में अधिक से अधिक अनुशासन लाने के लिए राज्य  
कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (ए ) और अन्य कार्यकारी एजेंसियों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र  
( ) प्रस्तुत करने पर जोर दिया गया । परिणामस्वरूप समय पर यूसी जमा करने में  
काफी सुधार हुआ है।
- एनएमसीजी में तीन साल की अवधि के लिए और साथ ही एनएमसीजी द्वारा केंद्रीय रूप से  
एसपीएमजी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लि तीन साल की अवधि के लिए  
आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है। , उत्तराखंड और बिहार के  
वर्ष 2018-19 के लिए और आगामी अवधि के लिए अपने आंतरिक लेखा  
परीक्षकों की नियुक्ति की है।
- यह सुनिश्चित कर रहा है कि निधि की मांग कार्यकारी और कार्यान्वयन  
एजेंसियों के अंत में अनपेक्षित संतुलन से बचने के उद्देश्य से जमीन पर भौतिक प्रगति से  
जुड़े खर्च के यथार्थवादी आकलन पर आधारित है।

से एक मासिक व्यय रिपोर्ट भी पेश की है, जिसमें महीने के अंत  
में शेष राशि सहित उपलब्ध धनराशि का व्यय नियमित मासिक आधार पर किया जाता है।

\*\*\*\*\*